<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>12.10.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय-I ने भ्रष्टाचार एवं आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पंजाब पुलिस के तत्कालीन उप महानिरीक्षक , रोपड़ रेंज, हरचरण सिंह भुल्लर को दिनांक 09.10.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने हरचरण सिंह भुल्लर की 08 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है। इससे पहले, इसी मामले में ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिनांक 18.09.2026 को किश्राणु शारदा को गिरफ्तार किया था, जो हरचरण सिंह भुल्लर के लिए बिचौलिए/माध्यम के रूप में कार्य करता था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), चंडीगढ़ द्वारा हरचरण सिंह भुल्लर, किश्राणु शारदा एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई 02 प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की गई।

जांच में पता चला कि हरचरण सिंह भुल्लर ने कथित तौर पर एक आपराधिक मामले में अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किश्राणु शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी। उक्त मामले में ₹8 लाख की मांग की गई थी, जिसमें से ₹5 लाख किश्राणु शारदा के माध्यम से स्वीकार किए गए थे। यह राशि आपराधिक मामले को निपटाने तथा शिकायतकर्ता को पुलिस के हस्तक्षेप के बिना अपना व्यवसाय जारी रखने देने के लिए मांगी गई थी। सीबीआई द्वारा हरचरण सिंह भुल्लर के आवास पर की गई तलाशी

के दौरान ₹7.37 करोड़ की नकदी तथा ₹2.32 करोड़ मूल्य के आभूषण बरामद किए गए थे। इसके अतिरिक्त, महंगी घड़ियां, उच्च श्रेणी के वाहन, बैंक जमा तथा व्यापक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान ₹8.35 लाख की नकदी जब्त की गई तथा लगभग ₹1.42 करोड़ की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज किया गया। जांच में प्रथम दृष्टया हरचरण सिंह भुल्लर की संदिग्ध अपराध की आगम के अर्जन, कब्जे, छिपाने तथा उपयोग में संलिप्तता सामने आई है।

आगे की जांच जारी है।